विभिन्न स्तर की सरकारें समान नागरिक समूहों पर शासन करती हैं, लेकिन प्रत्येक स्तर की सरकार का विधान बनाने, कराधान और प्रशासन के विशिष्ट मामलों में अपना स्वतंत्र अधिकार क्षेत्र होता है।

यद्यपि संविधान भारत को 'राज्यों का संघ' घोषित करता है, लेकिन भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांतों पर आधारित होता है।

- **द्वैध शासन व्यवस्था:** संविधान संघ स्तर पर केंद्र सरकार और क्षेत्रीय स्तर पर राज्य सरकारों से मिलकर एक द्वैध शासन व्यवस्था स्थापित करता है।
- **शक्ति का विभाजन:** लिखित संविधान उन विषयों को स्पष्ट रूप से सीमांकित करता है जो संघ के अनन्य अधिकार-क्षेत्र और राज्यों के अधीन हैं, तथा उन सीमाओं को निर्धारित करता है जिनके अंतर्गत उन्हें कार्य करना चाहिए।
- **द्विसदनीय:** संविधान में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई है- उच्च सदन (राज्य सभा) और एक निम्न सदन (लोकसभा)। राज्य सभा भारतीय संघ के राज्यों का, जबकि लोकसभा समग्र रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है।
- **संविधान की सर्वोच्चता:** संविधान सर्वोच्च है, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रभावी विधानों के विषय में इसकी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए।
- **कठोर संविधान:** संविधान की संघीय संरचना से संबंधित प्रावधानों को (जैसे केंद्र-राज्य संबंध, न्यायिक संगठन आदि) सरकार के किसी स्तर द्वारा एकतरफा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इनमें केंद्र और राज्य सरकारों की समान संस्तुति से ही संशोधन किया जा सकता है।
- **स्वतंत्र न्यायपालिका:** संविधान एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का उपयोग संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा के लिए तथा केंद्र और/या राज्यों के मध्य शक्ति के विभाजन से संबंधित विवादों के निपटान के लिए करती है।

भारतीय संविधान विघटन को रोकने तथा सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए एक सशक्त केंद्र सरकार की व्यवस्था करता है। इसके अतिरिक्त, इसकी कुछ विशिष्ट विशेषताएँ हैं, जैसे केंद्र के पास किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करने की शक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया, एकल संविधान, राज्य सभा में राज्य के प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव, आपातकालीन उपबंध, एकल नागरिकता, अखिल-भारतीय सेवाएं आदि।

हालाँकि, एस.आर. बोम्मई वाद (1994) में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संविधान संघीय है और संघवाद इसकी '**मूल विशेषता**' है। भारतीय संघवाद को भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए **'सहकारी संघवाद'** के रूप में भी समझा जाता है। इस प्रकार, भारत की संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य परिलक्षित होते हैं- देश की एकता की सुरक्षा एवं उसे प्रोत्साहन प्रदान करना तथा क्षेत्रीय विविधता को समायोजित करना।

8. Give an account of the composition, mandate and functioning of the Inter-State Council in India.

भारत में अंतरराज्य परिषद् के गठन, अधिदेश और कार्यपद्धति का विवरण दीजिए।

दृष्टिकोण:

- अंतर-राज्य परिषद से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए।
- भारत में राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने में अंतर-राज्य परिषद की भूमिका को स्पष्ट कीजिए।
- अंतर-राज्य परिषद की बेहतर कार्य पद्धति के लिए आगे की राह के साथ निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए।

उत्तर:

संविधान का अनुच्छेद 263 संघ और राज्य सरकारों के मध्य नीतियों के समन्वय और उनके कार्यान्वयन की सुविधा के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक अंतर-राज्य परिषद (ISC) की स्थापना को अधिदेशित करता है। अनुच्छेद 263 के प्रावधानों के अनुसरण में और सरकारिया आयोग की अनुशंसा के पश्चात, वर्ष 1990 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अंतर-राज्य परिषद (ISC) को एक संवैधानिक निकाय के रूप अधिसूचित किया गया।

अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council: ISC) की संरचना:

ISC को वर्ष 2019 में पुनर्गठित किया गया। वर्तमान में इसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और प्रशासक (जहाँ विधान सभा नहीं है), प्रधानमंत्री द्वारा नामित छह कैबिनेट मंत्री सम्मिलित हैं। साथ ही इसमें 10 कैबिनेट रैंक के अन्य मंत्री भी स्थायी आमंत्रित सदस्यों के रूप में शामिल हैं।